प्रेस नोट दिनांक 30.09.2023

(1). आज दिनांक 30.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 30.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

(i). **उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय** तथा उनके हमराही आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी बब्बू राजा द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरुप निवासी लोधन का डेरा मजरा पनौटी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). **उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय** तथा उनके हमराही आरक्षी अतुल कुमार, आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त भइयालाल पुत्र स्व0 बोधन निषाद निवासी हरिशनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). आज दिनांक 30.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति/क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया सहित महिला कल्याण अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में शरदीय नवरात्रों में महिला सुरक्षा हेतु ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ती दीदी'' कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों के महिला बीट अधिकारियों/महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई के साथ ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा विशेष सेशन लिया गया जिसमें किस प्रकार महिला चौपालों में महिलाओं का सम्बोधित करना है एवं किन महत्वपूर्ण बातों पर बल देना है उसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा तैयार जागरुकता सामग्री जिसको आसानी से महिला आरक्षी उपयोग कर सके, उसको भी वितरित कराया गया । इस कार्यशाला में महिला बीट अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य व इसके क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत रुप से जानकारी प्रदान की गयी । इस कार्यशाला में महिला आरक्षियों को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नुक्कड़ नाटक के वीडियो दिखाये गये । इन वीडियोज के माध्यम से महिला आरक्षियों को बताया गया कि किस प्रकार से विद्यालयों, गावों, बाजारों में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को

गुड-टच, बैड-टच, साइबर अपराध, छींटाकसी, घरेलु हिन्सा के सम्बन्ध में जागरुक किया जाये। शारदीय नवरात्रों में शक्ति दीदी द्वारा भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, शारदीय नवरात्रों के दौरान सभी बड़े पूजा पण्डालों एवं मंदिरों के आस पास शक्ति दीदी डियूटी देंगी जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न न हो एवं वहां महिला चौपाल के जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगी । इस कार्यशाला में महिला कल्याण अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा महिला बीट अधिकारियों को महिलाओं/बालिकाओं के लिये शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के सम्बन्ध में बताया गया एवं कहा गया कि क्षेत्र भ्रमण/जागरुकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को सभी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से बताया जाये

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह तथा उनकी द्वारा ग्राम नदीम कुर्मियां से ताश के पत्तों में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी ग्राम डेरा थाना बारा जनपद प्रयागराज 2. संजय सोनकर पुत्र वकील सोनकर 3. पुरुषोत्तम जायसवाल पुत्र संतोष कुमार जायसवाल निवासीगण नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड 12500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 3840/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ 12500/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

2. जामातलाशी से 3840/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना राजापुर
2. मुख्य आरक्षी मनोज कुमार
3. आरक्षी अजय वर्मा
4. आरक्षी रोहित कुशवाहा

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती आशा पुत्री दीरगज निवासी सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष अपने पति नवलकिशोर पुत्र धनराज निवासी तेरा बुजुर्ग थाना राजापुर जनपद चित्रकूट एवं सास,ससुर व देवर के विरुद्ध मारपीट, गली गलौज व दहेज की मांग करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र निरीक्षक श्री वीर प्रताप सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनो पक्षों को समझाया गया। दम्पति द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर सभी को प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दम्पत्ति को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र निरीक्षक श्री वीर प्रताप सिंह
2. महिला आरक्षी शिवाग्नी
3. महिला आरक्षी सुरुचि चौधरी

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 104/2023 धारा 379 भादवि0 के वांछित अभियुक्त फूल कुमार पुत्र बब्बू निवासी नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30.08.2023 को वादिया द्वारा श्रीमती मैना पत्नी शिवा पण्डित निवासी अतरौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि फूल कुमार उपरोक्त ने उसके 03 बकरे व 02 मुर्गे चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 104/2023 धारा 379 भादवि0 बनाम फूल कुमार उपरोक्त पंजीकृ किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में आज दिनाँक 30.09.2023 को उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फूल कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जामातलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 2000/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्त से चोरी के बकरे एवं मुर्गों के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैने 12000/- रुपये में 03 बकरे व 02 मुर्गे बेंच दिये थे, जिसमें से 10000/- रुपये घरेलू कार्यों में खर्च हो गये हैं सिर्फ यही 2000/- रुपये बचे हैं। चोरी के बकरे व मुर्गे की बेंच के 2000/- रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना सरधुवा
2. आरक्षी अमित सिंह
3. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवभारत पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी पनौटी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर 01 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा मे धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर 01 अदद कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा
2. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
3. आरक्षी राहुल पुरी
4. महिला आरक्षी रचना प्रजापति

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ श्री अंजनी कुमार सिहं के मार्गदर्शन मे श्री प्रभुनाथ सिंह (चौकी प्रभारी हरदीकला) तथा उनकी टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 02 चोरों को चोरी के 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, 3000/- रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया*

उल्लेखनीय है कि दिनाँक दिनांक 28.09.2023 को श्री अम्बेदकर राव सिंह पुत्र परशुराम सिंह निवासी ग्राम मुरका थाना बरगढ़ व रामलखन यादव पुत्र स्व0 चन्द्रभान यादव निवासी ग्राम अरवारी नौढिया बोझ थाना बरगढ़ द्वारा थाना कोतवाली बरगढ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से मोबाइल फोन, रुपये, कपड़े आदि चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना बरगढ में मु0अ0सं0 72/23 व मु0अ0सं0 73/23 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बरगढ द्वारा चौकी हरदीकला

प्रभारी उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिंह को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 30.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर चौकी हरदीकला क्षेत्र रेलवे क्रासिंग बंधे के पास से अभियुक्त 1. अमरेन्द्र विक्रम उर्फ ऋषभ सिह पुत्र पुष्पराज सिह 2. रूद्र प्रताप उर्फ बच्चा सिह पुत्र बलवीर सिह निवासीगण पूरबपताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, चोरी के 3000 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स काली कलर की रजिस्ट्रेशन नं0 UP 96 B 6035 व कपड़े, बेल्ट आदि के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी के सामान की बरामदगी के आधार पर दोनों मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अमरेन्द्र विक्रम उर्फ ऋषभ सिह पुत्र पुष्पराज सिह
2. रूद्र प्रताप उर्फ बच्चा सिह पुत्र बलवीर सिह निवासीगण पूरबपताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. चोरी के 02 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल फोन
2. चोरी के 3000/- रुपये
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स काली कलर की रजिस्ट्रेशन नं0 UP 96 B 6035
4. कपड़े बेल्ट आदि सामान

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिहं यादव (चौकी प्रभारी हरदीकला)
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
3. मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र
4. आरक्षी राहुल यादव चतुर्थ
5. आरक्षी राहुल यादव प्रथम
6. आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धानाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता अनीता पत्नी रामप्यारे उर्फ पप्पू निवासी ग्राम अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा
2. आरक्षी नन्हे यादव
3. महिला आरक्षी दीक्षा यादव

(11). आज दिनांक 30.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा कोतवाली कर्वी के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर गुण दोष का आधार पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा आईजीआरएस माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतू विशेष रूप से निर्देशित किया गया।

अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पांडेय, निरीक्षक अपराध श्री आशुतोष त्रिपाठी, चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री चन्द्रमणि पाण्डेय, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह, चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(12). आज दिनाँक 30.09.2023 को पुलिस विभाग में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले मुख्य आरक्षी प्यारेलाल वर्मा, मुख्य आरक्षी राम आसरे यादव, मुख्य आरक्षी रसीद अख्तर खा को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा शॉल व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सेवानिवृत हुये पुलिसकर्मियों को बताया गया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।

(13). आज दिनांक 30.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में नोडल अधिकारी SPC/क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" एवं ''शक्ति दीदी'' एवं SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट) अभियान के तहत में थाना पहाड़ी के SPC पुलिस अधिकारी वरि0उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओरा में, थाना बरगढ़ के SPC पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा राजकीय इण्टर कालेज बरगढ़ में तथा थाना भरतकूप के SPC पुलिस अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतकूप व राजकीय हाई स्कूल रौली कल्याणपुर में छात्र/छात्राओं पुलिस की कार्यशैली के सम्बन्ध मे विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किय गया। इस गोष्ठी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को मिशन शक्ति एवं शक्ती दीदी के तहत बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।

(14). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पांडेय एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2009 धारा 272,273 भादवि 0 व मु0अ0सं0 46,47,48,49/2009 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. छैला पुत्र गौरी पासी 2.मोनू पुत्र भारत 3.रवि पुत्र संतोष 4.रिंकू पुत्र सुरेश सिंह निवासीगण दुबे तालाब नैनी प्रयागराज को 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 22.01.2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मानिकपुर श्री डी0सी0 श्रीवास्तव द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को सफेद पेंट से नकली दूध तैयार कर उसकी चाय बनाकर विक्रय करते हुए गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्तगणों के कब्जे से 42-42 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में नकली दूध की चाय बेचने के संबंध मे मु0अ0सं0 44/2009 धारा 272,273 भादवि0 व नशीला पाउडर रखने के

संबंध में मु0अ0सं0 46,47,48,49/2009 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन चौकी प्रभारी सरैया श्री सुजान सिंह तोमर द्वारा उपरोक्त मुकदमों की विवेचना कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए गए थे।